

4



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :- 1379/जीसीएओछ:/3ए/2015(टीसी)

दिनांक :- 28 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन मुख्यालय द्वारा मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत निर्गत नियुक्ति पत्र संख्या-833-स०प्र०-12/ पाकालि/2013/116ए/89 टीसी-1 दिनांक 20.07.2013 एवं 99-स०प्र०-12/ पाकालि/2014/100-ए/75 टीसी दिनांक 21.01.2014 द्वारा क्रमशः श्री अनिल कुमार पाल पुत्र स्व० जीत लाल एवं श्री मोहन लाल गौड़ पुत्र स्व० मुन्नी लाल को पूर्व में कारपोरेशन आदेश संख्या-681-ज०श एवं प्र०सु०-01/पाकालि/11-13-ज०श० एवं प्र०सु०/2011 दिनांक 09.11.2011 द्वारा सृजित "मुख्यालय लेखा संवर्ग" में 'कनिष्ठ श्रेणी लिपिक' के पद पर पे-बैण्ड-1 रू० 5200-20200, ग्रेड-पे रू० 2200 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। मुख्यालय लेखा संवर्ग को कारपोरेशन आदेश संख्या-999/ज०श एवं प्र०सु०-01/पाकालि/13-13 ज०श० एवं प्र०सु०/2011 दिनांक 30.10.2013 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से निरस्त किए जाने के फलस्वरूप कारपोरेशन प्रबन्धन के अनुमोदनोपरान्त विशेष परिस्थितियों में उक्त दोनों कार्मिक पूर्ववर्ती मुख्यालय लेखा संवर्ग के अन्य कार्मिकों की भाँति लेखा संवर्ग में कार्यालय सहायक-तृतीय के पद पर यथा स्थिति में आमेलित माने जायेंगे तथा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2430-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2014-11-ज०श०/2008 दिनांक 16.12.2014 के निर्गत किए जाने की तिथि से श्री अनिल कुमार पाल, कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा) एवं श्री मोहन लाल गौड़, कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा) को पे-बैण्ड-1 में ग्रेड-पे रू० 2600 अनुमन्य किए जाने का आदेश एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

उक्त कार्मिकों के शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्राविधान को उक्त विशेष परिस्थितियों में इस प्रतिबन्ध के साथ शिथिल किया जाता है कि इसे अन्य किसी प्रकरण में दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।

उक्त आदेश मा० उच्च न्यायालय में निवेशित याचिका संख्या-6828/2013 श्री नवीन जायसवाल एवं अन्य बनाम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं अन्य तथा स्पेशल अपील संख्या-82/2014 (श्री देशराज एवं अन्य बनाम श्री नवीन जायसवाल एवं अन्य) में प्रतीक्षित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होगा।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या :- 1379/जीसीएओछ:/3ए/2015(टीसी) तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (वित्त)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर सचिव (का०प्र०-1), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः—2—

रेशन लि०, शक्ति

- 

लेखाधिकारी (प्रशासन)